इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2022—वैशाख 23, शक 1944

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

प्रपत्र—दो (ब)

शुद्धि पत्र

बुरहानपुर, दिनांक 11 मई 2022

क्र. 2052-जि. पं.-पंचा. परि.-2022.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात्—

असाधारण राजपत्र 225, दिनांक 04 मई 2022 पृष्ठ क्र. 450(34) में प्रकाशित हुई है. जिसमें खण्ड खकनार की ग्राम पंचायत सागफाटा के वार्ड क्र. 1 से 4 तक प्रकाशित नहीं हुए हैं. अतः शुद्धिकरण अनुसार ग्राम पंचायत सागफाटा का मेटर निम्नानुसार पढ़ा जाए:—

खण्ड-खकनार

सारणी

अनु-क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)
1	सागफाटा	1	0 मंजू अनिल के मकान से 155 राजु मुंशी के मकान तक
		2	0 डिगरीलाल के मकान से 69 गंगाराम के मकान तक
		3	0 गेमाभावसिंग के मकान से 204 मंजुबाई के मकान तक
		4	12 खेतसिंग के मकान से 341 बक्सीराम के मकान तक
			वार्ड क्र. 5 से 10 तक यथावत् रहेंगे.

प्रवीण सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास) जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 6 मई 2022

क्रमांक 164 डूडा-2022.-एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम, 1961(क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शाजापुर जिले की शाजापुर ब्लाक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्षाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील क्षेत्र को नगर पालिका परिषद शाजापुर की सीमावृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची-1 में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतविष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखता है तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला शाजापुर को प्रस्तुत कर सकता है, समयावधि उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर धारा 5(2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा:-

अनुसूची--एक

नगर पालिका परिषद शाजापुर की सीमाओं से सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा:-

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कांजा	कांजा	866.82
2	बरवाल	बरवाल	729.29
3	बज्जाहेडा	बज्जाहेडा	552.45
4	बज्जाहेडा	लखमनखेडी	585.76
5	बज्जाहेडा	मुरादपुरा	127.76
6	मूलीखेडा	गोल्याखेडी	682.68
7	मूलीखेडा	मूलीखेडा	262.85
8	लोंदिया	बायडा	229.40
9	लोंदिया	लोंदिया	696.95
10	सांपखेडा	सांपखेडा	405.89
11	गिरवर	गिरवर	758.52
12	पतोली	पतोली	472.43
13	बाईहेडा	जायडा	254.81
14	टाण्डा बोर्डी	ग्राम बोर्डी	08.88
15		मगरिया	209.22
16		ग्राम महुपुरा	198.20
17		शाजापुर	128.00
18		फूलखेडी	208.10
19		डांसी	67.99

अनुसूची--दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर पालिका शाजापुर की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है:-

पूर्व में- ग्राम भिलवाडिया, मझानिया, बमोरी की सीमा

पश्चिम में- ग्राम बावलियाखेडी, खेरखेडी, भदौनी की सीमा

उत्तर में- ग्राम सतगांव बाईहेडा, हरणगांव, छापीहेडा, हिरपुर बज्जा, हिरपुरटेका की सीमा

दक्षिण में- ग्राम दिल्लोद, आलाउमरोद, पिपल्यागोपाल की सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश जैन, कलेक्टर.

Shajapur, 06 May 2022

No.....164..... Hereby exercising the powers conferred for Section 5(1)(a) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961(No.37 of 1961) the hereby signify their intention to the limit of Nagar Palika Parishad Shajapur Disst. Shajapur include the village is defined in Schedule in below. Any authority are inhabitant of the scheduled-1 area may submit his objection or suggestion in writing on Collector district Shajapur within 15 days from the date of primary publication for this Notification for the consider as per rule and authority take such objection or suggestion in to consideration :-

SCHEDULE-1

No.	Name of Village	Including Village	Detail of Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kanja	Kanja	866.82
2	Barwal	Barwal	729.29
3	Bajjaheda	Bajjaheda	552.45
4	Bajjaheda	Lakhman Khedi	585.76
5	Bajjaheda	Muradpura	127.76
6	Mulikheda	Golya Khedi	682.68
7	Mulikheda	Mulikheda	262.85
8	Londiya	Bayda	229.40
9	Londiya	Londiya	696.95
10	Sanpkheda	Sanpkheda	405.89
11	Girwar	Girwar	758.52
12	Patoli	Patoli	472.43
13	Baiheda	Jayda	254.81
14	Tanda Bordi	Bordi	08.88
15		Magariya	209.22
16		Mahupura	198.20
17		Shajapur	128.00
18		Phoolkhedi	208.10
19		Dansi	67.99

SCHEDULE-2

After including Areas listed in Schedule-1, Municipal Corporation Shajapur's Boundaries are as follows:-

East:- Village Bhilwada, Majhaniya, Bamori Boundaries

West:- Village Bavliyakheda, Kherkhedi, Bhadoni Boundaries

North:- Village Satgaon, Baiheda, Harangaon, Chapiheda, Hirpur Bajja,Hirpurteka Boundaries

South:- Village Dillod, Alaumrod, Pipalya Gopal Boundaries

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DINESH JAIN, Collector.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.